पत्रांक–5 / स0भू0 बोकारो (मुकदमा)–86 / 2020 2958 (5) / रा0

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

कमल किशोर सोन,
सरकार के सचिव।

सेवा मे,

सभी उपायुक्त।
सभी बंदोबस्त पदाधिकारी।
झारखण्ड।

राँची, दिनांक– 20-10-2020

विषयः– दिनांक–12.10.2020 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सरकारी भूमि के संरक्षण हेतु SOP तैयार करने से संबंधित बैठक की कार्यवाही के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करने के संबंध में।

प्रसंग :– विभागीय ज्ञापांक–2912, दिनांक–19.10.2020

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए कहना है कि माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के द्वारा पिण्डराजोरा पुलिस थाना वाद सं0–39 / 2019, GR वाद सं0–731 / 2019 से उद्भूत B.A. No.-2818/2020 एवं 2880/2020 में पारित आदेश के आलोक में सरकारी भूमि के संरक्षण हेतु SOP तैयार करने से संबंधित दिनांक–12.10.2020 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक की कार्यवाही के आलोक में निम्नरूपेण आवश्यक कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है :–

1. सभी प्रतिबंधित सूची के अन्तर्गत आनेवाली सरकारी भूमि, खासमहाल की भूमि, लीज बंदोबस्त की गयी भूमि, विभिन्न विभागों के लिए अर्जित की गयी रैयती भूमि एवं हस्तांतरित सरकारी भूमि, संरक्षित / अधिसूचित वन भूमि को निश्चित रूप से NGDRS वेबसाईट के अन्तर्गत अपलोड किया जाय तथा यह ध्यान रखा जाय कि इस तरह की भूमि का अनाधिकृत निबंधन के साथ–साथ अनाधिकृत हस्तांतरण नहीं हो सके। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि अर्जित की गयी भूमि का उल्लेख रजिस्टर–II में कर दिया जाय ताकि पूर्व भू–स्वामी के पक्ष में लगान रसीद निर्गत होना बंद किया जा सके।
2. झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत सभी रिजर्व तथा संरक्षित वन भूमि की विवरणी संबद्ध वन प्रमण्डल पदाधिकारी के हस्ताक्षर से प्राप्त कर उसे भी प्रतिबंधित सूची में सम्मिलित करते हुए NGDRS के वेबसाईट पर अपलोड करेंगे।
3. सभी उपायुक्त नियमित रूप से प्रतिबंधित सूची को अद्यतन करेंगे तथा इसे संबंधित निबंधन कार्यालय, राजस्व कार्यालय, अभिलेखागार व बंदोबस्त पदाधिकारी के कार्यालय को भी उपलब्ध करायेंगे ताकि दस्तावेजों में हेरा–फेरी की आशंका को रोका जा सके।

20/10/2020

कृ0पृउ0

4. सभी बंदोबस्त पदाधिकारियों/सहायक बंदोबस्त पदाधिकारियों का यह व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे अपने क्षेत्राधिकार अन्तर्गत पड़नेवाली प्रतिबंधित भूमि की विवरणी संबंधित उपायुक्त से प्राप्त करेंगे एवं सर्वे सेटलमेंट के मामलों में सुनवाई के दौरान संबंधित सरकारी कार्यालय/पदाधिकारियों को समुचित अवसर प्रदान करते हुए सुनवाई के उपरांत ही प्रतिबंधित सूची की भूमि के संबंध में नियमानुसार समुचित आदेश पारित करेंगे तथा इसके पश्चात् ही विधिक रूप से सर्वे को अंतिम रूप देते हुए प्रकाशन की कार्यवाही करेंगे।
5. राज्य सरकार के सभी विभागों/निकायों द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि/अर्जित रैयती भूमि एवं हस्तांतरित सरकारी भूमि पर भूमि की सुरक्षा हेतु बोर्ड लगाना सुनिश्चित किया जायेगा, जिसमें भूमि का पूर्ण विवरण हो तथा यह भी उल्लेख हो कि भूमि पर किसी भी प्रकार का अनाधिकृत प्रवेश, उपयोग एवं निर्माण प्रतिबंधित होगा तथा इसका उल्लंघन सम्यक कानून के अंतर्गत दंडनीय होगा। उल्लेखनीय है कि राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा सरकारी भूमि के रक्षार्थ स्थल बोर्ड अधिष्ठापन के संबंध में विभागीय पत्रांक–657, दिनांक–20.02.2020, पत्रांक–1545, दिनांक–02.07.2020 एवं पत्रांक–2372, दिनांक–11.09.2020 द्वारा सभी उपायुक्तों को निदेश संसूचित है। उपायुक्त अपने जिलान्तर्गत राजस्व विभागीय निदेशों का अनुपालन कराते हुए संबंधित विभागों के साथ भी समन्वय स्थापित कर इसका अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।
6. अपने जिला अन्तर्गत सभी प्रकार की सरकारी भूमि के अतिक्रमण, दुरूपयोग, खरीद–फरोख्त आदि से संबंधित जो आपराधिक मामले दर्ज है, उनकी समेकित विवरणी पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध करायी जाय। इसकी एक प्रति राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को भी उपलब्ध करायी जाय।
7. भूमि से संबंधित दस्तावेजों के सुरक्षित एवं संरक्षण हेतु अभिलेखागार के कार्यकलाप व व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाय ताकि दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से रखा जा सके एवं इसमें हेरा–फेरी की आशंका नहीं रहे। इन्हें digitise करने की दिशा में भी कार्रवाई की जाय।

चूंकि इस विषय में एक निर्धारित समय–सीमा के अन्तर्गत कार्य का सम्पादन किया जाना है, अतः उपरोक्त सभी बिन्दुओं का अनुपालन यथाशीघ्र पूर्ण करने की आवश्यकता है। विदित हो मुख्य सचिव के स्तर से भी इस विषय पर एक माह बाद समीक्षा की जायेगी, अतः इस विषय पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए प्रगति प्रतिवेदन दिनांक–10.11.2020 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनु0:– यथोक्त।

विश्वासभाजन,

20/10/2020

(कमल किशोर सोन)
सरकार के सचिव

ज्ञापांकः–5 / स0भू0 बोकारो (मुकदमा)–86 / 2020 2958 (5) / रा0, दिनांक– 20-10-202

प्रतिलिपिः– सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड / निबंधन महानिरीक्षक, झारखण्ड / निदेशक, भू–अर्जन, भू–अभिलेख–सह–परिमाप निदेशालय, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/10/2020
सरकार के सचिव

ज्ञापांकः–5 / स0भू0 बोकारो (मुकदमा)–86 / 2020 2958 (5) / रा0, दिनांक– 20-10-202

प्रतिलिपिः– प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारियों को रिजर्व एवं संरक्षित वन भूमि को प्रतिबंधित सूची में सम्मिलित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अपने स्तर से निदेशित करने की कृपा की जाय।

20/10/2020
सरकार के सचिव

ज्ञापांकः–5 / स0भू0 बोकारो (मुकदमा)–86 / 2020 2958 (5) / रा0, दिनांक– 20-10-202

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

20/10/2020
सरकार के सचिव